



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072022-237329
CG-DL-E-18072022-237329

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3053]
No. 3053]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 18, 2022/आषाढ 27, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JULY 18, 2022/ASHADHA 27, 1944

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 12 जुलाई, 2022

का.आ. 3211(अ).—माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा, “जीरो बजट आधारित खेती को बढ़ावा देने, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को बदलने, एम.एस.पी. को और अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति का गठन। इस समिति में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, किसान, कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री शामिल होंगे”, के अनुक्रम में निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जाता है-

समिति

1. अध्यक्ष

श्री संजय अग्रवाल (पूर्व कृषि सचिव)

2. सदस्य नीति आयोग (कृषि)

श्री रमेश चंद

3. कृषि अर्थशास्त्री

(i) डॉ सी.एस.सी. शेखर (भारतीय आर्थिक विकास संस्थान)

(ii) डॉ सुखपाल सिंह (आई०आई०एम०, अहमदाबाद)

4. राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार विजेता किसान

- (i) श्री भारत भूषण त्यागी

5. किसानों के प्रतिनिधि

- (i) संयुक्त किसान मोर्चा से तीन सदस्य (नाम आने पर जोड़े जाएंगे)

- (ii) अन्य किसान संगठनों से सदस्य

- श्री गुणवंत पाटिल
- श्री कृष्णवीर चौधरी
- श्री प्रमोद कुमार चौधरी
- श्री गुणी प्रकाश
- श्री सैय्यद पाशा पटेल

6. किसान सहकारिता/समूह के प्रतिनिधि

- (i) श्री दिलीप संघानी, चेयरमैन इफको

- (ii) श्री विनोद आनंद, महासचिव सीएनआरआई

7. सीएसीपी के वरिष्ठ सदस्य

- श्री नवीन पी. सिंह

8. कृषि विश्वविद्यालय/संस्था के वरिष्ठ सदस्य

- (i) डॉ पी. चंद्रशेखर, महानिदेशक, राष्ट्रीय कृषि विस्तार संस्थान (मैनेज)

- (ii) डॉ जे.पी. शर्मा, कुलपति, शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जम्मू

- (iii) डॉ प्रदीप कुमार बिसेन, कुलपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

9. भारत सरकार के प्रतिनिधि

- (i) सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

- (ii) सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग और महानिदेशक (भा.कृ.अनु.प.)

- (iii) सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

- (iv) सचिव, सहकारिता मंत्रालय

- (v) सचिव, वस्त्र मंत्रालय

10. राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

- (i) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/आयुक्त कृषि, कर्नाटक

- (ii) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/आयुक्त कृषि, आंध्र प्रदेश,

- (iii) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/आयुक्त कृषि, सिक्किम

- (iv) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/आयुक्त कृषि, ओडिशा

11. सदस्य- सचिव

- संयुक्त सचिव (फसल)

समिति के गठन संबंधी विषय**क. एम. एस. पी.**

1. देश के किसानों के लिए एम. एस. पी. मिलने हेतु व्यवस्था और अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव।
2. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की व्यवहार्यता और अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय।

3. कृषि विपणन पद्धति को सुदृढ करने की व्यवस्था ताकि देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार घरेलू और निर्यात अवसरों का लाभ उठाते हुए किसानों के लिए उनकी उपज के उच्च मूल्य हेतु लाभकारी कीमते सुनिश्चित की जा सकें।

ख. प्राकृतिक खेती

1. किसान संस्थाओं को शामिल कर, मूल्य श्रृंखला विकास, प्रोटोकॉल वैधीकरण और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अनुसंधान के माध्यम से भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के तहत क्षेत्र विस्तार के लिए कार्यक्रम और योजनाओं पर सुझाव देना और सभी किसान संगठनों का साथ, प्रचार व योगदान।
2. अन्य अनुसंधान एवं विकास संस्थानों सहित कृषि विज्ञान केंद्र को ज्ञान केंद्र बनाने तथा विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षिक संस्थानों में प्राकृतिक खेती प्रणाली पाठ्यक्रम तथा कौशल की शुरुआत के लिए कार्यनीतियों पर सुझाव देना।
3. प्राकृतिक खेती की प्रक्रियाओं और उत्पादों के लिए किसान हितैषी वैकल्पिक प्रमाणन प्रणाली और विपणन प्रणाली पर सुझाव देना।
4. प्राकृतिक खेती की मूल्य श्रृंखला विकास को सुदृढ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय हेतु विधियों और माध्यमों पर सुझाव देना।
5. प्राकृतिक खेती से उत्पादित उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण के लिए प्रयोगशालाओं की श्रृंखला।

ग. फसल विविधीकरण

1. उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की मौजूदा फसलन प्रणाली की मैपिंग।
2. देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार फसलन पद्धति में परिवर्तन के लिए विविधीकरण नीति व्यवस्था हेतु कार्यनीति।
3. कृषि विविधीकरण करने, नवीन फसलों की बिक्री हेतु लाभकारी मूल्य मिलने के लिए व्यवस्था।
4. सूक्ष्म सिंचाई योजना की समीक्षा और सुझाव।

[फा. सं. 12/7/22-सं.स.]

शुभा ठाकुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, 12th July, 2022

S.O. 3211(E).—As per announcement of Hon'ble Prime Minister that “A committee will be constituted to promote Zero budget based farming, to change crop pattern keeping in mind the changing needs of the country, and to make MSP more effective and transparent & that the committee will consist of representatives of the Central Government and State Governments, Farmers, Agricultural Scientists and Agricultural Economists”; a committee is being constituted as follows-

1. Chairman

Shri Sanjay Agrawal (Former Agriculture Secretary)

2. Member NITI Aayog (Agriculture)

Shri Ramesh Chand

3. Agricultural Economist

(i) Dr. C.S.C. Shekhar (Indian Institute of Economic Development)

(ii) Dr. Sukhpal Singh (IIM, Ahmedabad)

4. National Award Winning Farmer

Shri Bharat Bhushan Tyagi

5. Representatives of Farmers

(i) Three members from Sanyukta Kisan Morcha (names to be added on receipt)

(ii) Members from other farmer organizations

- Mr. Gunwant Patil

- Shri Krishnaveer Choudhary

- Mr. Pramod Kumar Choudhary

- Shri Guni Prakash

- Mr. Sayyed Pasha Patel

6. Representative of Farmers' Cooperative/Group

(i) Shri Dilip Sanghani, Chairman, IFFCO

(ii) Shri Binod Anand, General Secretary, CNRI

7. Senior Member of the CACP

Mr. Naveen P. Singh

8. Senior Member of Agricultural Universities/Institutions

(i) Dr. P. Chandrashekhar, Director General, National Institute of Agricultural Extension (MANAGE)

(ii) Dr. J.P. Sharma, Vice Chancellor, Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology, Jammu

(iii) Dr. Pradeep Kumar Bisen, Vice Chancellor, Jawaharlal Nehru Agricultural University, Jabalpur

9. Representative of the Government of India

(i) Secretary, Department of Agriculture and Farmers Welfare

(ii) Secretary, Department of Agricultural Research and Education and Director General (ICAR)

(iii) Secretary, Department of Food and Public Distribution

(iv) Secretary, Ministry of Cooperation

(v) Secretary, Ministry of Textiles

10. Representatives of State Governments

(i) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Commissioner Agriculture, Karnataka

(ii) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Commissioner Agriculture, Andhra Pradesh,

(iii) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Commissioner Agriculture, Sikkim

(iv) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Commissioner Agriculture, Odisha

11. Member-Secretary

Joint Secretary (Crops)

Subject matter of constitution of the Committee**A) M. S. P.**

1. Suggestions to make available MSP to farmers of the country by making the system more effective and transparent.
2. Suggestions on practicality to give more autonomy to Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) and measures to make it more scientific.
3. To strengthen the Agricultural Marketing System as per the changing requirements of the country to ensure higher value to the farmers through remunerative prices of their produce by taking advantage of the domestic and export opportunities.

B) Natural Farming

1. Suggestions for programmes and schemes for value chain development, protocol validation & research for future needs and support for area expansion under the Indian Natural Farming System by publicity and through involvement and contribution of farmer organizations.
2. To suggest strategies for making Krishi Vigyan Kendra (KVKs) and other Research & Development institutions as knowledge centres, and introduction of natural farming system curriculum and skill development courses in the Universities & other educational Institutions.
3. To suggest farmer friendly alternative certification system and marketing system for natural farming processes and products.
4. To suggest methods and means for international coordination to strengthen the value chain development of natural farming.
5. Chain of laboratories for organic certification of products produced through natural farming.

C. Crop Diversification

1. Mapping of existing cropping patterns of agro-ecological zones of producer and consumer states.
2. Strategy for diversification policy to change the cropping pattern according to the changing needs of the country.
3. Arrangement for agricultural diversification & system to ensure remunerative prices for the sale of new crops.
4. Review and suggestion on micro irrigation scheme.

[F. No. 12/7/22-S.S.]

SHUBHA THAKUR, Jt. Secy